



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 04 मार्च, 2014 ई0

फाल्गुन 13, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 100/XXXVI(3)/2014/19(1)/2014

देहरादून, 04 मार्च, 2014

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) (निरसन) विधेयक, 2014” पर दिनांक 03 मार्च, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 10 वर्ष, 2014 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) (निरसन) अधिनियम, 2014
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 10 वर्ष 2014)

भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 20 वर्ष, 2013) को निरसित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो-

- | | |
|--|---|
| संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ | 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) (निरसन) अधिनियम, 2014 है।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में होगा।
(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा। |
| उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 20 वर्ष, 2013 का निरसन | 2. भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 20 वर्ष 2013) एतद्वारा निरसित किया जाता है। |

आज्ञा से,

के0डी0 भट्ट,
प्रमुख सचिव।

No. 100/XXXVI(3)/2014/19(1)/2014

Dated Dehradun, March 04, 2014

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of '**Indian Stamp (Uttarakhand Amendment) (Repeal) (Amendment) Act, 2014**' (Adhiniyam Sankhya 10 of 2014).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 03 March, 2014.

Indian Stamp (Uttarakhand Amendment)(Repeal) Act, 2014

(Uttarakhand Act No. 10 of 2014)

An
Act

to repeal the Indian Stamp (Uttarakhand Amendment) Act, 2013 (Uttarakhand Act. No. 20 of 2013)

It is hereby enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Sixtieth-fifth Year of the Republic of India as follows:-

- | | | | |
|-------------------------|-------|-----|--|
| Short title, | 1. | (1) | This Act may be called the Indian Stamp (Uttarakhand |
| Extent and | | | Amendment) (Repeal) Act, 2014. |
| Commencement | | (2) | It extends to the whole of Uttarakhand. |
| | | (3) | It shall come into force at once. |
| Repeal | of 2. | | Indian Stamp (Uttarakhand Amendment) Act. 2013 |
| Uttarakhand Act. | | | (Act. No. 20 of 2013) is hereby Repealed |
| No. 20 of 2013 | | | |

By Order,

K. D. BHATT,
Principal Secretary.